न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
18/2013	30/09/2013	17/10/2025

मोहनलाल पुत्र श्री गणेश जाति गुर्जर निवासी लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत लुहावद जरिए सरपंच
2. राजाराम पुत्र श्री रतनताल
3. धनपाल पुत्र श्री रतनलाल
4. प्रेमबाई पुत्री श्री रतनलाल जातियान गुर्जर नि0 लुहावद तह0 पीपल्दा जिला कोटा।

रेस्पोडेन्टगण

अपीलान्ट की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः–श्री गिरिराज कुशवाहा एड0।
रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री एस टी एच आब्दी एड0।

अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत लुहावद दिनांक 20.07.2013 इन्तकाल नं 1456 अन्तर्गत धारा 75 एल–आर एक्ट

निर्णय

अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम लुहावद पटवार क्षेत्र लुहावद तहसील पीपल्दा में खातौनी संख्या 258 नक्ल जमाबन्दी संवत् 2066 से 69 पर आराजी खसरा नम्बर 452 रकबा 1.48 है० किस्म नहरी दोयम स्थित है, जिसके खातेदारान मोहनलाल पुत्र गणेश, पानाबाई बैवा गणेश जाति गुर्जर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। श्रीमति पानाबाई का स्वर्गवास हो जाने के उपरान्त राजस्व रेकॉर्ड से पानाबाई का नाम इन्तकाल के जरिय हटाया जाकर सम्पूर्ण भूमि पर केवल अपीलान्ट का नाम हीं बतौर खातेदार रखना चाहिये था, किन्तु रेस्पोडेन्ट कम 1 सरपंच ग्राम पंचायत लुहावद ने पानाबाई के वारिसान में रेस्पोडेन्ट कम 2 राजाराम रेस्पोडेन्ट कम 3 धनपाल व रेस्पोडेन्ट कम 4 प्रेमबाई को भी पाना बाई की औलाद बताते हुए त्रुटिपूर्वक इन्तकाल खोल दिया है जो कि निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट कम 2 से 4 रतनलाल के पुत्र व पुत्री है, गणेशराम के पुत्र व पुत्री नहीं है जबकि उक्त भूमि पैतृक नहीं है तथा गणेशराम की मृत्यु के उपरान्त मोहनलाल व पानाबाई के नाम से बराबर–बराबर हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हुआ है। पानाबाई की मृत्यु के पश्चात गणेशराम की स्वअर्जित आय से खरीद की गई भूमि पर केवल मात्र मोहनलाल का ही नाम दर्ज होना चाहिए थे, जबकि रेस्पोडेन्ट कम 1 ने रेस्पोडेन्ट कम 2 ता 4 का नाम भी दर्ज कर दिया। राजस्व रेकॉर्ड में पानाबाई बैवा गणेश दर्ज है, जिससे साबित है कि पानाबाई गणेश की पत्नी थी, इससे पूर्व श्रीमति पानाबाई, रतनलाल की पत्नी रहीं थी, रतनलाल से पानाबाई के तीन संतान कमशः रामधन, धनपाल, व प्रेमबाई हुए थे, रतनलाल के स्वर्गवास के उपरान्त श्रीमति पानाबाई अपने देवर गणेश के यहा नाते बैठ गयी, इस कारण राजस्व रेकॉर्ड में गणेश पत्नी बन गयी तथा गणेश की मृत्यु के उपरान्त जो इन्तकाल खोला गया है, उसमें अपीलान्ट मोहनलाल का नाम व अपीलान्ट की मां श्रीमति पानाबाई का नाम भी विवादित आराजियात में बतौर सहखातेदार रहा है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट कम 1 ने बिना जांच किए रेस्पोडेन्ट कम 2 ता 4 के पक्ष में पानाबाई का फोती इन्तकाल खोलकर भारी त्रुटि की है, इस कारण रेस्पोडेन्ट

कम 1 द्वारा खोला गया इन्तकाल निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट कम 1 के सम्मुख जो सजरा प्रस्तुत किया है उस सजरे के नीचे पटवारी के हस्ताक्षर नहीं है। जबकि सर्किल अयाना के आई0एल0आर0 की रिपोर्ट में दर्शाया है कि रिपोर्ट पटवारी अनुसार सजरा अंकित दुरस्त है। इस प्रकार ना तो पटवारी ने और ना ही कानूनगों ने विस्तृत जांच की तथा फर्जी तौर पर फर्जी सजरा तैयार करके इन्तकाल खोले जाने बाबत रेस्पोडेन्ट कम 1 के समक्ष प्रस्तुत किया, रेस्पोडेन्ट कम 1 ने भी रिपोर्ट पटवारी व आई0एल0आर0 की रिपोर्ट पर सत्यता की जांच नहीं की तथा बिना जांच किए ही इन्तकाल खोल दिया, जो कि पूर्णतया त्रुटिपूर्ण एवं अवैध होने से निरस्त होने योग्य है तथ केवल मात्र अपीलान्ट के नाम ही आराजी ख0नं0 452 रकबा 1.48 हेक्टर किस्म नहरी प्रथम का इन्तकाल खोला गया इन्तकाल पूर्णतया अवैध एवं निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो का पालन नही किया है, पास पडौस व वार्ड पंच से रेस्पोडेन्ट कम 2 ता 4 गणेश की औलाद होने बाबत कोई जांच नहीं की है, जबकि रेस्पोडेन्ट कम 2 ता 4 रतनलाल की संतान है, गणेश की संताने नहीं है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा खोला गया इन्तकाल कानून के प्रावधानो के विपरित होने से पूर्णतया अवैध है, व निरस्त होने योग्य है। दिनांक 20–7–2013 को रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा खोले गये इन्तकात को जानकारी दिनांक 25–9–2013 को नकल इन्तकाल प्राप्त करने पर हुयी, दिनांक 20–7–2013 से 25–9–2013 तक की अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रथम जानकारी व इन्तकाल नकल प्राप्त दिनांक 25.9.2013 से अन्दर मियाद एक माह अपील प्रस्तुत है। अपीलान्ट द्वारा पृथक से दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के अन्तर्गत देरी को कंडोन करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जानकारी की तिथि के अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत है। अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा खोले गये इन्तकाल नं0 1456 दिनांक 20.07.2013 को अवैध एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त करने की कृपा करे तथा रेस्पोडेन्ट कम 2 ता 4 का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाकर केवल मात्र अपीलान्ट का नाम ही श्रीमति पानाबाई के वारिस के रूप में कुल आराजी में दर्ज करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अपीलान्ट की ओर से अपील श्री गिरिराज कुशवाहा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजि0 किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जर्ये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से एसटीएच आब्दी ने वकालतनामा पेश किया तथा रेस्पोडेन्ट कम 2 ता 4 की ओर से श्री फिरोज आब्दी ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट कम 1 ता 4 को कई अवसर दिए जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर रेस्पोडेन्ट कम 1 ता 4 का जवाब बन्द किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन व मनन किए जाने पर पाया कि ग्राम लुहावद पटवार मण्डल लुहावद तह0 पीपल्दा के खसरा नं0 452 रकबा 1.8है0 नहरी II खातेदारान मोहनलाल पुत्र गणेश, पानाबाई बैवा गणेश गुर्जर के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। पानाबाई रतनलाल की पत्नी रही थी, रतनलाल से पानाबाई में तीन सन्तांन कमशः रामधन, धनपाल व प्रेमबाई हुए थे। रतनलाल के स्वर्गवास के उपरान्त श्रीमति पानाबाई अपने देवर के यहा नाते बेठ गई। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में गणेश की पत्नि बन गई तथा गणेश की मृत्यु के उपरान्त विरासत का नामा0 खोलते समय अपीलान्ट के नाम के साथ–साथ श्रीमति पानाबाई का नाम भी विवादित आराजी में बतौर सहखातेदार रहा है। तत्पश्चात पानाबाई के फोत होने पर विरासत का नामा0 खोलते समय चूंकि पानाबाई को भूमि अपने दूसरे पति गणेश

से विरासतन मिली है। अतः पानाबाई को पूर्व रतनलाल से यदि कोई भूमि मिली है तो पाना के पूर्व पति रतनलाल से पैदा हुए वारिसान को एवं पानाबाई के दूसरे पति गणेश से विरासत में मिली भूमि का पानाबाई के दूसरे पति गणेश से पैदा हुए वारिसान के नाम नामा0 खुलना चाहिए था। हस्तगत प्रकरण में पानाबाई की मृत्यु के उपरान्त पानाबाई के दूसरे पति गणेश से विरासत में मिली कृषि भूमि में पानाबाई को गणेश से पैदा वारिसान के नाम नामा0 खोलने के बजाए पानाबाई के पूर्व पति रतनलाल एवं दूसरे पति गणेश दोनों से पैदा हुए वारिसान का नाम नामा0 दर्ज कर स्वीकार कर दिया गया है। जिससे पानाबाई के हक अधिकार वाधिक हुए है एवं दूसरे पति गणेश से पैदा हुए वारिसान को अपूरणीय क्षति हुई है। यदि उक्त त्रुटि को शुद्ध नहीं किया गया तो स्व0 गणेश के वारिसान को हुई अपूरणीय क्षति की पूर्ति किया जाना संभव नहीं है।

अतः ग्राम लुहावद पटवार मण्डल लुहावद आईएलआर सर्किल अयाना तह0 पीपल्दा के 1456 निर्णय 20.07.2013 को निरस्त किया जाता है एवं निर्णय का अंकन संबंधित नामा0 नं0 1456 निर्णय दिनांक 20.07.2013 को दोनो पर तो में किया जावे एवं प्रकरण तहसीलदार पीपल्दा को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि स्व0 पानाबाई पत्नि स्व0 गणेश को पानाबाई के दूसरे पति गणेश से विरासत आई भूमि को विरासत तय करते समय वारिसान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर विधीवत सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय कर नामा0 कार्यवाही करे। निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा